न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 326/2013

प्रविष्टि दिनांक 23–8–2013

1–खेमराज पुत्र हीरा मीणा निवासी ग्राम मुण्डियाखुर्द तह0 देवली जिला–टोंक राज0
2–मिश्रीलाल पुत्र हीरा मीणा निवासी ग्राम मुण्डियाखुर्द तह0 देवली जिला–टोंक राज0
3–जमनी पत्नि हीरा मीणा निवासी ग्राम मुण्डियाखुर्द तह0 देवली जिला–टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक हाल डी–48 आरएसईबी एस स्टेकशन के पीछे वेशाली नगर जयपुर ।

3–तहसीलदार देवली जिला–टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–(1) श्री बसन्त कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 10–11–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1072 में 1600 वर्गमीटर का मुआवजा कृषि भूमि बारानी–2 की दर से निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक महत्व की होने के कारण भूमि का मुआवजा प्रार्थी को सुने बिना बहुत कम पुरानी डीएलसी दर से कृषि भूमि का निर्धारित किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित व्यवसायिक महत्व की भूमि है जिसके आसपास कई व्यवसायिक परिसर व दुकानें पंक्तिबद्ध रूप से स्थित हैं। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक भूमि की दर से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अवार्ड दिनांक 28–6–2013 को अपास्त कर बारानी–2 भूमि के स्थान पर व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा निर्धारण कर राशि दिलाने का आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 2060/09 दिनांक 28–6–2010 तलब की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक अनुपस्थित हैं। अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण द्वारा जवाब व लिखित बहस पेश की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1072 रकबा 1600 वर्गमीटर वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द तह0 देवली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुद्वा भूमि पर स्थित (structures) का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राज0सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.सी.आर) के अनुसार मूल्यांकन कराया है,जो पूर्णतः सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–।। राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी एंव मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन0एच–12 टोंक क्षेत्र (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) द्वारा अवार्ड सं0 2060/09 दिनांक 28–6–2010 खेमराज,मिश्रीलाल पुत्र हीरा 5/6 जमनी बेवा ही 1/6 मीणा साकिन मुण्डिया खुर्द के हक मे ख0नं0 1072 मे 1600 वर्गमीटर का बारानी–।। की दर से 170949/रूपये का जारी किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि व्यवसायिक रूपान्तरित न होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म बारानी–।। दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु व्यवसायिक भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की नकल सं0 2068–2071 की प्रति पेश की है उसमें भी भूमि की किस्म बारानी–।। ही अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10–11–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:51:37 IST
Reason: SelfAttested